कार्यालय छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड,
छोकरा नाला लाभांडी, रायपुर

निविदा विज्ञप्ति क्र ...883 रायपुर, दिनांक 24/09/2014

—: रुचि की अभिव्यक्ति :—

वित्तीय वर्ष 2014–15 के लेखों हेतु आंतरिक अंकेक्षण की सेवा लिया जाना है। जिसके लिये सीलबंद लिफाफे में प्रस्ताव पंजीकृत सी.ए. से दिनांक 07/10/2014 तक आमन्त्रित है। जिसका विस्तृत विवरण निगम के वेबसाईट www.cg.nic.in/csbc में उपलब्ध है।

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस
कार्पोरेशन लिमिटेड,रायपुर

आंतरिक अंकेक्षण निविदा आवेदन पत्र का प्रारुप

1. फर्म का नाम एवं पता : ....

2. दूरभाष क्रमांक : ....

3. आयकर का PAN क्रमांक : ....

   (अभिप्रमाणित प्रति संलग्न हैं)

4. सर्विस टैक्स विभाग का पंजीयन क्र.: ....

   (अभिप्रमाणित प्रति संलग्न हैं)

5. अनुभव प्रमाण पत्र

   (शासकीय / अशासकीय)

6. अन्य कोई जानकारी यदि हो तो : ....

   (संलग्न उक्तानुसार)

महाप्रबंधक
छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस
कार्पोरेशन लिमिटेड,रायपुर

--:: आंतरिक अंकेक्षण हेतु नियम एवं शर्ते ::-

छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड,रायपुर के अंतर्गत रायपुर एवं बिलासपुर गोदामों, तथा मुख्यालय रायपुर के लेखा वर्ष 2014-15 के लेखा पुस्तकों एवं अभिलेखों का आंतरिक अंकेक्षण कार्य हेतु निगम द्वारा निर्धारित मापदण्ड एवं शर्तो पर चार्टर्ड एकाउंटेंट से सेवाएं लेना चाहता है।

जो चार्टर्ड एकाउंटेंट अंकेक्षण हेतु सेवाएँ देने में रुचि रखते है वे अपनी सेवायें देने हेतु वार्षिक अंकेक्षण शुल्क राशि एवं सहमति प्रस्ताव, प्रबंध संचालक छ.ग. स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर को दिनांक 07/10/2014 तक भेजें।

मुख्यालय एवं गोदामों के अंकेक्षण कार्य के संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालयीन समय प्रातः 10.00 बजे से सायंकाल 5.00 बजे तक प्रधान कार्यालय, छ.ग. स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड, लाभांडी रायपुर, से प्राप्त किया जा सकता है। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नही किया जावेगा।

आंतरिक अंकेक्षण हेतु नियम एवं शर्ते निम्नानुसार है :-

1) आवेदित फर्मो द्वारा फर्म से संबंधित समस्त दस्तावेजों के लिए एवं अंकेक्षण दर हेतु अलग-अलग बंद लिफाफा प्रस्तुत किया जाना होगा है। निगम द्वारा फर्म के संबंध में चाही गई दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत ही, प्रस्तुत अंकेक्षण दर के लिफाफा को खोला जावेगा।
2) आंतरिक अंकेक्षण का कार्य 1 वर्ष की होगी। कार्य सन्तोषजनक होने पर अंकेक्षण अवधि में वृद्वि की जा सकेगी।
3) स्वीकृत अंकेक्षण राशि के अलावा किसी भी प्रकार की गोदाम आने -जाने के पर यात्रा व्यय के अतिरिक्त कोई अन्य एवं प्रासंगिक व्यय देय नही होगी।
4) निगम मुख्यालय एवं संबंधित गोदामों का अंकेक्षण उपरांत प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने पर राशि भुगतान की जावेगी।
5) निगम द्वारा आंतरिक अंकेक्षण हेतु निर्धारित बिन्दुओं पर अंकेक्षण किया जाकर अंकेक्षण प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
6) आंतरिक अंकेक्षण प्रतिवेदन महालेखाकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में एवं आयकर विभाग के समयावधि में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना होगा।

7) आंतरिक अंकेक्षण कार्य मई 2015 तक पूर्ण करना होगा, जिससे चार्टर्ड एकाउंटेंट के पास ऑडिट हेतु पर्याप्त एवं प्रशिक्षित स्टॉफ होना अतिआवश्यक।

8) आंतरिक अंकेक्षण द्वारा मई 2015 के पूर्व एवं निगम लेखों ,टैक्स से संबधित समस्त लेखों एवं अग्रिम आयकर, बैंक समाधान विवरण एवं अन्य वैधानिक अंकेक्षण से संबंधित निर्धारित लेखों पर अंकेक्षण जाना आवश्यक है।

9) आंतरिक अंकेक्षण के दौरान निगम लेखो में पाई गई समस्त त्रुटियों को आंतरिक अंकेक्षक द्वारा नियमानुसार सुधार कर आंतरिक अंकेक्षण रिर्पोट प्रस्तुत करना होगा।

10) आंबटित अंकेक्षण कार्य को किसी अन्य एजेंसी/चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म को हस्तांतरित नही किया जावेगा।

11) आंतरिक अंकेक्षण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को वैधानिक अंकेक्षण द्वारा चेंकिग के दौरान लेखों में अन्तर/असमानता पाये जाने पर उक्त लेखों को पुनः आंतरिक अंकेक्षण द्वारा सुधार कर रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

11) किसी भी प्रस्ताव को बिना कारण बताए अमान्य करने का अधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा।

महाप्रबंधक
छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस
कार्पोरेशन लिमिटेड,रायपुर

SCOPE OF AUDIT

(Head Office & Godown)

क्र.	अंकेक्षण का कार्यक्षेत्र	अंकेक्षण की सीमा
1.	Godown Commercial (Filed) Raipur / Bilaspur	1. वित्तीय वर्ष के अंतिम स्कंध पंजी अनुसार गोदामों में क्रय एवं विक्रय की संपूर्ण दस्तावेजों की जांच करना।
		2. विनिर्माता / प्रदायकर्ता इकाईयों से क्रय एवं भुगतान किये गये विदेशी मदिरा को लैंडिग प्राईस के आधार पर बिलों की जांच करना, साथ ही विनिर्माता / प्रदायकर्ता इकाईयों का समाशोधन प्रपत्र (Reconciliation Statment) अतांरिक अंकेक्षण रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करना।
		3. गोदामों में हुई, ब्रेकेज (टूट–फूट) जैसे, गोदाम ब्रेकेज एवं परिवहन ब्रेकेज की साफ्टवेयर से बिल वाईस व पंचनामा वाईस जांच कर करना। एवं पायी गयी त्रुटियों को सुधार कर साफ्टवेयर में प्रविष्टि कराना।
		5. लायसेंसियों को विक्रय की गई विदेशी मदिरा के विरुद्ध जमा की गई राशि का बैंक स्टेटमेंन्ट से मिलान कर अतंर राशि से अवगत कर नियमानुसार प्रवृष्टि करना।
2.	Head Office, Raipur Account (Filed)	1. मुख्यालय में स्थित केशबुक, व्यय से संबंधित व्हाउचर का मिलान / परीक्षण उपरांत एकाउटिंग से संबंधित आवश्यक प्रविष्टि करना, निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 में संचालित सभी बैंक खातों का बैंक समाधान विवरण प्रपत्र (Bank Reconciliation Statment) तैयार करना।
		2. वित्तीय वर्ष 2014–15 के लेखों का परीक्षण उपरांत महालेखाकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में (रिपोर्ट) तलपट ,केश फ्लो, आयकर गणना पत्रक, लाभ / हानि, एवं चिट्ठा तैयार करना,
		3. निगम लेखों से संबंधित जैसे अदत्त व्यय, पूर्व दत्त व्यय, उपार्जित आय, अनुपार्जित आय एवं प्रावधानों की खातों से जांच उपरांत आवश्यक समायोजन प्रविष्टि करना।

महाप्रबंधक
छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस
कार्पोरेशन लिमिटेड,रायपुर

आंतरिक अंकेक्षण हेतु योग्यता :–

1/ आवेदित फर्म का नियंत्रक आई. सी. ए. आई. (ICAI) में पंजीकृत होना आवश्यक है। (सत्यापन हेतु प्रति संलग्न करें।)

2/ आवेदित फर्म या उसके प्रोपरार्टर या पार्टनर का अंकेक्षण कार्य अनुभव कम से कम पांच वर्षो का होना आवश्यक है। (सत्यापन हेतु प्रति संलग्न करें।)

3/ आवेदित फर्म का पंजीयन कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य में होना आवश्यक है, साथ ही अस्थायी कार्यालय जिला–रायपुर (छ.ग.) में होना अनिवार्य है।

4/ आंतरिक अंकेक्षण हेतु आवेदित फर्म (सी.ए.फर्म में पंजीकृत हो) कम से कम 2 पार्टनर या ऐसी प्रोपरार्टरसीप फर्म जिसमें कम से कम एक सी.ए. कर्मचारी हो, ऐसी ही फर्म आवेदन करने के योग्य हो। इसका प्रमाण सी.ए. संस्था के रिकार्ड में होना अनिवार्य है। वर्तमान constitution certificate सलंग्न करें।

5/ आवेदित फर्म, उसका प्रोपरार्टर या उसका पार्टनर या उस फर्म का सी.ए.कर्मचारी यदि बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर में पिछले दो वर्षो के अंकेक्षण एवं अन्य किसी भी पेशेवर सेवाएँ में सलंग्न रहा हो ऐसा फर्म प्रोपरार्टर या उसका पार्टनर या उस फर्म का सी.ए. कर्मचारी अंकेक्षण कार्य हेतु योग्य नही होगें।

6/ आवेदित फर्म का विगत 3 वर्षो (2011–12, 2012–13 एवं 2013–14) का वार्षिक व्यवसाय 10.00 लाख होना आवश्यक है। (विगत 3 वर्षो की ऑडिटेड बैलेंसशीट की प्रति संलग्न करें।)

महाप्रबंधक
छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस
कार्पोरेशन लिमिटेड,रायपुर